उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक 09 अगस्त, 2021

समक्ष : माननीय मनोज कुमार तिवारी, जज,

रिट पिटिशन (एम/एस) नम्बर 2641 वर्ष 2011

नरेश कुमार ..... याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री पंकज मगलानी, अधिवक्ता)

बनाम

न्यू इंजीनियरिंग एंटरप्राइज ..... प्रतिवादी

(द्वारा श्री अरविन्द वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री इमरान अली खान, अधिवक्तां)

<u>निर्णय</u>

1. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. याचिकाकर्ता एक कर्मकार है, उसने विद्वान श्रम न्यायालय, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या 332 वर्ष 2009 में दिये गये फैसले को चुनौती दी है। उक्त फैसले दिनांकित 28.07.2021 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दिये गये संदर्भ का जवाब दिया गया था।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता न्यू इंजीनियरिंग एंटरप्राइज, बी–18 औद्योगिक क्षेत्र, रुड़की में कार्यरत था। उन्होंने एक औद्योगिक विवाद उठाया जिसे निर्णय के लिये श्रम न्यायालय हरिद्वार में भेजा गया। विवाद, जिसे संदर्भित किया गया था, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है –

> ''क्या नियोक्ता द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित कर्मकार की बर्खास्तगी उचित थी या/और कानूनी थी। यदि नहीं, तो कर्मकार क्या राहत/लाभ पाने का हकदार है।''

4. श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसने 26.11.1987 से 25.06.2002 तक प्रतिवादी के साथ चौकीदार के रूप में कार्य किया। हालांकि उसे आरोप पत्र या नोटिस जारी किये बिना सेवा से हटा दिया गया था। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने श्रम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त करने के पश्चात स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी। श्रम न्यायालय ने निर्धारण के लिये निम्नलिखित बिन्दु तैयार किये –

> ''1. क्या कर्मकार ने एक कलैंडर वर्ष या बारह कलैंडर माह में 240 दिन कार्य किया था।

2. क्या कर्मकार को नियोक्ता से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ है।

3. क्या नियोक्ता ने बर्खास्तगी से पहले कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई है।''

5. बिन्दु सख्या 01 के सम्बन्ध में विद्वान श्रम न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने एक कलैंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया। हालांकि, बिन्दु सख्या 02 का निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ निकाला कि उसने नियोक्ता से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त करने के पश्चात स्वेच्छा से काम छोड़ दिया था, तद्नुसार बिन्दु संख्या 03, बिन्दु संख्या 02 पर दर्ज निष्कर्ष के मध्येनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णीत किया गया था। विद्वान श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संदर्भ का उत्तर देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी न हतो अवैध थी और न ही अनुचित थी।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का बिन्दु संख्या 02 के निष्कर्ष पर कहना है कि याचिकाकर्ता ने पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के पश्चात स्वेच्छा से काम छोड़ दिया और अंतिम भुगतान दिनांक 13.05.2002 के नदक बाउचर पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि उक्त नकद वाउचर एक जाली दस्तावेज है, जिस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह अविश्वसनीय है कि पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता को 25.06.2002 तक काम करने की अनुमति दी गयी थी।

7. याचिकाकर्ता की ओर से बिन्दु संख्या 02 के निष्कर्ष को बिना किसी सार का बताया गया है। श्रम न्यायालय के समक्ष अपने बयान में याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.05.2002 को कैश वाउचर पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, इसलिये उनका यह तर्क कि कैश वाउचर एक जाली दस्तावेज है, स्वीकार नहीं किया गया।

8. अन्यथा भी, यह दिखाने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता 25.06.2002 तक याचिकाकर्ता के साथ काम करता रहा।

9. अपने तर्क के समर्थन में कि याचिकाकर्ता ने लगातार 25.06.2002 तक काम किया था, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 25.06.2002 को उप श्रम आयुक्त को की गयी एक शिकायत पर भरोसा किया है, जो रिट याचिका के अभिलेख में अनेक्स्चर संख्या–5 के रूप में है।

10. उक्त शिकायत के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपना सामान, जो उसने फैक्ट्री के अन्दर रखा था, नियोक्ता से वापस चाहता था। नियोक्ता द्वारा लगाये गये ताले के

कारण, याचिकाकर्ता को उसका सामान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उक्त दस्तावेज के स्वर और भाव से इस तथ्य का पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने नियोक्ता–कर्मकार के सम्बन्ध विच्छेद को स्वीकार किया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि विद्वान श्रम न्यायालय ने बिन्दु संख्या 02 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह गलत है, इसलिये इसे रद्द किया जाना चाहिए और मामले को बिन्दु संख्या 02 पर नए सिरे से निष्कर्ष दर्ज करने के लिये विद्वान श्रम न्यायालय में वापस भेजा जा सकता है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उन साक्ष्यों की समीक्षा या पुनः सराहना नहीं कर सकता है, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण का निर्णय आधारित है, न ही यह न्यायालय इसके प्रतिस्थापन के लिये तथ्य या कानून की त्रुटियों को भी ठीक कर सकता है, जैसा कि शमशाद अहमद बनाम तिलक राज बजाज (2008) 9 एस.सी.सी. में अवधारित किया गया है।

13. याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने कोई न्यायिक त्रुटि या रिकॉर्ड पर स्पष्ट कोई अन्य त्रुटि की है। कैश वाउचर पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि कैश वाउचर जाली है। याचिकाकर्ता के इस तर्क के समर्थन में किसी ठोस सबूत के अभाव में कि उसने 25.06.2002 तक काम किया था, विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा बिन्दु सख्या 02 पर दिये गये निष्कर्ष को विकृत नहीं कहा जा सकता। यह दिखाने के लिये रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कैश वाउचर में जालसाजी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की थी। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा की गयी जालसाजी की दलील बाद में विचार की गयी प्रतीत होती है।

14. जैसा की ऊपर चर्चा की गयी है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

15. तद्नुसार रिट याचिका असफल हो जाती है और उसे खारिज किया जाता है। व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है।

(मनोज कुमार तिवारी, जज)